न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी- रिद्धिमा शर्मा (जिला न्यायाधीश कैडर)
दांडिक अपील संख्या- 78/2018
सी.आई.एस. नम्बर- 134/2018
सी.एन.आर. नं. RJAL010018862018

1. ईल्ली उर्फ इलियास पुत्र हुसैन उर्फ सैनू, उम्र 35 वर्ष, निवासी धोली कोठी बास, तन मौजपुर, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह अलवर (राजस्थान)

.....अपीलार्थी-अभियुक्त

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक अलवर,

.....रेस्पोडेन्ट

दांडिक अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15-03-2018 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेडा, जिला अलवर, दांडिक प्रकरण संख्या 1064/2017, सरकार बनाम ईल्ली उर्फ इलियास वगैरह, अपराध अन्तर्गत धारा 392 भा.दं.सं. पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना गुप्ता, आर.जे.एस.

उपस्थित:-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री महेश चंद मीना, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

-नि र्ण य- दिनांक: 31-07-2026

01. अपीलार्थी-अभियुक्त **ईल्ली उर्फ इलियास** की ओर से यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 15-03-2018 के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो कालान्तर में विचारण एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुई है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी नानक मीणा ने पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 09-01-2000 को 7.15 पी.एम. पर बस नंबर आरजे 14 पी 2822 राजस्थान रोडवेज को चलाकर अलवर से लक्ष्मणगढ व जावली के लिये रवाना हुये थे। बस का चालक मोतीलाल शर्मा तथा परिचालक वह था। 7.45 पीएम पर मालाखेडा पहुंचे, जहां से तीन युवक

मालाखेडा से मौजपुर के लिए टिकट बनवाकर बस में सवार हुये थे उनके अलावा श्यामगंगा की तीन व चार सवारी बैठी थी। करीब 8.15 पीएम पर श्यामगंगा पहुंचे जहां पर चार सवारियां उतर गई बस में मात्र तीन युवक जिनको मौजपुर जाना था बैठे रहे और श्यामगंगा से डेढ किलोमीटर करीब आगे फूटी मंडी पहुंचे तो एकदम तीनों युवक उसके साथ लिपट गये व उसका कैश का थैला छीन लिया उसके चिल्लाने पर ड्राईवर ने गाडी रोककर उसे बचाने की कोशिश की परतु उनमें से एक व्यक्ति ने कटटा दिखाकर उन्हें डराकर पैसो का थैला छीनकर जंगल में भाग गये, उन्होंने रोला किया तो आसपास के गांव के काफी आदमी इकटठे हो गये, जिन्होंने उन लोगों को काफी तलाश किया परंतु बड़ी फसल होने के कारण कहीं छिप कर निकल गये और पैसों का बैग जिसको छीनकर ले गये है उसका रंग लाल रेगजीन का है, जिसके अंदर गाडी के 3 "वे" बिल व उसका कंडक्टरी का लाईसेंस व एक उसकी पीएनबी शाखा अलवर की बुक व करीब 2000 रूपये नगद थे। बदमाश भागते समय अपनी एक लोई चद्दर बस में छोड गये, बदमाशों का हुलिया व तीनों की उम्र करीब 30-35 के बीच में थीं, एक का रंग सांवला लम्बा चेहरा काली पेंट लीली कुर्ती पहने हुआ था। दूसरा का रंग गोरा गोल चेहरा सफेद कपडे पहने हुआ था व तीसरा का रंग सांवला व तहमद कमीज पहने हुआ था, जिन्हें वह सामने आने पर पहचान सकते हैं....इत्यादि।

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मालाखेडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2000 अन्तर्गत धारा 392 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अपीलार्थी-अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04. अपीलार्थी-अभियुक्त ईल्ली उर्फ इलियास को धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसको सुन व समझ कर अपीलार्थी-अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पी.ड.1 नानकचंद मीणा, पी.ड.2 राधेश्याम, पी.ड.3 नफेसिंह, पी.ड.4 सतीशचंद कौशिक, पी.ड.5

जगदीश प्रसाद, पी.ड.6 मोतीलाल, पी.ड.7 जयपाल, पी.ड.8 हरेन्द्र सिंह, पी.ड.9 जयसीराम, पी.ड.10 बंशीलाल, पी.ड.11 यादराम, पी.ड.12 हजारीलाल को परीक्षित कराया गया।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी 02 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी 03 नक्शामौका, प्रदर्श पी 04 फर्द जब्ती गर्म लोई, प्रदर्श पी 04 मुआयना रिपोर्ट, प्रदर्श पी 05 मुलजिम इलियास की शिनाख्तगी कार्यवाही, प्रदर्श पी 06 शिनाख्तगी कार्यवाही, प्रदर्श पी 07 लगायत प्रदर्श पी-9 "वे" बिल, प्रदर्श पी 10 लाईसेंस की फोटोकॉपी, प्रदर्श पी 11 बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता राधेश्याम, प्रदर्श पी 12 फर्द गिरफतारी अभियुक्त सहामत, प्रदर्श पी 13 फर्द जब्ती एक कटटा देशी 12 बोर 3 कारतूस, एक घडी तथा 400 रूपये नगद, प्रदर्श पी 14 मुआयना रिपोर्ट, प्रदर्श पी 15 सीजेएम अलवर को पत्र, प्रदर्श पी 16 बरामदगी सामान 3 "वे" बिल, एक फोटोकॉपी परिचालक लाइसेंस, प्रदर्श पी 17 नक्शामौका बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी 18 राजस्थान परिवहन निगम की रसीद, प्रदर्श पी 19 वाहन लाभ पत्र, प्रदर्श पी 20 परिचालक मार्ग विपत्र, प्रदर्श पी 21 नकल मालखाना रजिस्टर, प्रदर्श पी 22 मुलजिम इल्ली की शिनाख्तगी कार्यवाही की सूचना, प्रदर्श पी 23 शिनाख्तगी कार्यवाही बाबत सूचना, प्रदर्श पी 24 प्राप्ति रसीद एक सीलबंद पैकिट, प्रदर्श पी 25 बापर्दा फर्द गिरफतारी अभियुक्त ईलियास, प्रदर्श पी 26 फर्द इत्तिला धारा 27 एवीडेंस एक्ट मुलजिम इल्ली उर्फ इलियास, प्रदर्श पी 27 इल्ली की कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु परेड, प्रदर्श पी 28 दो कारतूस 12 बोर एफएसएल जयपुर भिजवाये जाने बाबत पत्र, प्रदर्श पी 29 सीजेएम अलवर को शिनाख्तगी हेतु पत्र, प्रदर्श पी 30 बंदियो की सूची, प्रदर्श पी 31 अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शित करवाये गये।

07. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 15-03-2018 के द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया गया और अदम अदायगी अर्थदण्ड़ एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। इस निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

08. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का यह आधार बताया गया है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं। गवाह पी.ड.2 राधेश्याम, पी.ड.3 नफेसिंह व पी.ड.4 सतीश चंद के बयानों से अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ किसी प्रकार का जुर्म कारित किया जाना साबित नहीं होता है। गवाह पी.ड.5 जगदीश प्रसाद बरामदगी का गवाह है, जिससे अपीलार्थी की कोई बरामदगी साबित नहीं होती है और न ही पी.ड.6 मोतीलाल की साक्ष्य से अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित होता है। गवाह पी.ड.8 हरेन्द्र सिंह कार्यवाही शिनाख्तगी का गवाह है, जिससे अपीलार्थी की शिनाख्तगी कार्यवाही जेल परिसर में सही प्रकार से नहीं करवायी गयी है। गवाहान नानक चंद व मोतीलाल द्वारा भी शिनाख्तगी कार्यवाही किया जाना बताया है, जबकि उक्त गवाहान पहले से ही अभियुक्त को जानते थे। अपीलार्थी-अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्तगी सही साबित नहीं हो पाई है। अभियोजन साक्ष्य में काफी विरोधाभास है। विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की जाकर निर्णय पारित किया गया है, जिसको अपास्त किया जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

09. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का खण्ड़न करते हुए यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जाए।

10. उक्त तर्को पर मनन कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 15-03-2018 का परिशीलन किया गया तथा पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य को देखा गया।

11. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में एफ.आई.आर.नानकचंद मीणा द्वारा दर्ज करवायी गयी है और अभियोजन पक्ष की ओर से नानकचंद मीणा को बतौर साक्षी पी.ड.1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी यह साक्ष्य रही है कि दिनांक 09-01-2000 को रोडवेज बस नम्बर 2822 में कंडेक्टर था और मोतीलाल चालक था और बस को अलवर से जावली, लक्ष्मणगढ जा रहा था। श्यामगंगा से आगे फूटी मंडी के पास बस में बैठी तीन सवारियों द्वारा उससे कैस बैग छीन लिया जिसमें करीबन 2000 रूपये थे और बैग में तीन "वे" बिल थे व एक पीएनबी की पास बुक थी और उसका

परिचालक का लाईसेंस था, जिनको छीनकर लेकर भाग गये। मुलजिमान की एक लोई चद्दर की थी, जिसको छोड गये, जो उन्होंने पुलिसवालों को दे दी। बस में उस समय लाईट जला रखी थी। मुलजिम की शक्ल उसने देख ली थी। परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी 02, नक्शामौका प्रदर्श पी 03, फर्द जब्ती लोई प्रदर्श पी 04 को साबित किया है और उक्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। परिवादी की यह भी साक्ष्य रही है कि मुलजिमान की उसने जेल में शिनाख्त की थी उसने मुलजिमान को सही पहचान लिया था। फर्द शिनाख्ती ईल्ली प्रदर्श पी 05 है, लोई आर्टिकल 01 वही है जिसे मुलजिमान छोड गये थे। कट्टा को वह नहीं पहचान सकता। परिवादी ने अपनी साक्ष्य से "वे" बिल प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-9 व लाईसेंस की फोटोकॉपी प्रदर्श पी 10 को साबित करते हुये यह कहा है कि लाईसेंस व "वे" बिल वहीं है जो मुलजिमान उससे छीनकर ले गये थे। परिवादी अपनी जिरह में भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं देता है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित होता हो। इस प्रकार परिवादी ने अपनी साक्ष्य से तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है।

12. इसी क्रम में वाहन रोडवेज बस का चालक मोतीलाल बतौर अभियोजन साक्षी सं.6 न्यायालय में परीक्षित हुआ है और उसने यह साक्ष्य दी है कि बस में तीन ही सवारी रह गई थी, फूटी मण्डी स्टेण्ड पर कंडेक्टर की छाती में इन्होंने डुक्क मारे और बैग व कैश छीनने लगे। वह गाडी चला रहा था और रोल मचने पर उसने पीछे देखकर गाडी रोक दी व कंडेक्टर को बचाने लगा तो तीसरे आदमी ने जिसका नाम सहमत था, उसने उसे कट्टा दिखाया और उसकी गर्दन पर लगा दिया तथा कैश बैग को छीनकर तीनों ले गये, जिनके नाम सहमत, ईल्ली व आसू था। वह मुलजिम ईल्ली को पहचानता है जो आज हाजिर अदालत है। उक्त गवाह से किये गये प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित होता हो। उक्त गवाह की साक्ष्य से परिवादी की साक्ष्य की पुष्टि होती है।

13. गवाह पी.ड.12 हजारीलाल प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है और अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध किये गये अनुसंधान की पुष्टि करते हुए यह साक्ष्य देता है कि दिनांक 24-01-2000 को उसके द्वारा मुलजिम

इल्ली को बापर्दा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के पश्चात मुलजिम द्वारा दी गई धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 26 के अनुसरण में अभियुक्त ने अपने रिहायशी मकान से 3 "वे" बिल व एक फोटो कॉपी परिचालक लाईसेंस को बरामद करवाया था, जिसको उसने जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 16 जब्त किया था तथा जब्त किये गये सामान को परिवादी नानकचंद मीणा द्वारा न्यायालय में सही पहचाना गया है और कहा कि यह वही लाईसेंस व "वे" बिल है जो मुलजिमान उससे छीनकर ले गये थे।

14. इसके अलावा गवाह पी.ड.5 जगदीश पुलिसकर्मी हैं और यह साक्ष्य देता है कि दिनांक 26-01-2000 को मुलजिम ईल्ली उर्फ इलियास की जैर हिरासत पुलिस बापर्दा की सूचना के आधार पर मुलजिम की रिहायशी तिबारी में प्रवेश कर दाहिनी तरफ चारपाई पर पड़े बिस्तरों के नीचे से तीन "वे" बिल राजस्थान रोडवेज के, एक फोटोकॉपी परिचालक लाईसेंस की निकालकर पेश की, जिसको मौके पर ही एसएचओ द्वारा जब्त किया गया और फर्द जब्ती प्रदर्श पी-16 व नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-17 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। गवाह पी.ड.11 यादराम भी अपनी साक्ष्य से फर्द गिरफतारी अभियुक्त ईल्ली प्रदर्श पी-25 एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी-16 व नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-17 को अपनी साक्ष्य से साबित करता है। गवाह पी.ड.3 नफेसिंह मुआयना रिपोर्ट का गवाह है जो मुलजिमान से बरामद कटटा फायर आर्म्स की श्रेणी में आने की ताईद करता है। गवाह पी.ड.7 जयपाल शर्मा मालखाना का गवाह है जो जब्तशुदा माल को मालखाने में जमा कराने का कथन करता है। गवाह पी.ड.8 हरेन्द्र सिंह कार्यवाही शिनाख्तगी अभियुक्त ईल्ली का गवाह है,, जो अभियुक्त ईल्ली उर्फ इलियास की कार्यवाही शिनाख्तगी गवाह नानकचंद व मोतीलाल से करवाने तथा उक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त को सही पहचानने की साक्ष्य देता है। गवाह पी.ड.9 जयसीराम नक्शामौका का गवाह है जो नक्शामौका उसके समक्ष बनाये जाने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करता है।

15. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त गवाहान अपनी जिरह में भी अखण्डनीय रहे हैं और केवल इसलिए कि गवाहान पुलिसकर्मी हैं, इस कारण उनकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहान द्वारा अखण्डनीय साक्ष्य दी गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किया जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में की गई दोषसिद्धि किसी प्रकार से विधि विरूद्ध एवं तथ्यों से परे प्रकट नहीं होती है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश की दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि की जाती है।

सजा के बिन्दु पर सुना गया-

16. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का कथन है कि अपीलार्थी अभियुक्त इस मामले में वर्ष 2000 से लगातार अन्वीक्षा भुगत रहा है। अपीलार्थी-अभियुक्त मजदूरी पेशा वाला गरीब व्यक्ति है। अपीलार्थी-अभियुक्त काफी समय पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। अतः दण्ड़ादेश दिनांक 15-03-2018 को मंसूख किया जाकर अपीलार्थी को भुगती हुई सजा पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

17. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को विधिसम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

18. दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त वर्ष 2000 लगभग **26** वर्ष से लगातार अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को भुगती हुई सजा पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश अन्तर्गत धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता विधि अनुरूप होने के कारण पुष्टि किये जाने योग्य है परन्तु दण्डादेश अपास्त किया जाकर दण्डादेश की सीमा तक अपीलार्थी-अभियुक्त की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आ दे श-

19. परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त **ईल्ली उर्फ इलियास** पुत्र हुसैन उर्फ सैनू, उम्र 35 वर्ष, निवासी धोली कोठी बास, तन मौजपुर, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15-03-2018 को पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा दण्डादेश को अपास्त किया

जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त **ईल्ली उर्फ इलियास** को धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दो माह के कठोर कारावास (भुगती सजा) एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन दिवस का कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को समायोजित किया जावे। अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जाए।

निर्णय की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

(रिद्धिमा शर्मा)

20. निर्णय आज दिनांक 31-07-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)